



फोन नं. 07723-223834

Email : zp-msamund.cg@nic.in

जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.)

क्र./1337/NRLM/जि.पं./2024-25

महासमुन्द, दिनांक 05/03/2025

विस्तृत विज्ञापन

मिशन संचालक, SRLM, विकास आयुक्त कार्यालय, विकास भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ का आदेश क्रमांक 3357/वि-6/NRLM/HR&A/2025 दिनांक 17.01.2025 के परिपेक्ष्य में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन 'बिहान' अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से जिला एवं विकासखण्ड स्तर के कुल 09 रिक्त (संविदा) पदों पर भर्ती हेतु वांछित अर्हताधारी एवं इच्छुक अभ्यर्थियों से दिनांक 05.03.2025 से 20.03.2025 तक कार्यालयीन समय 5.30 बजे तक कार्यालय-मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द (छ.ग.) के पते पर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

(अ) पदों का विवरण :-

क्र.	रिक्त पद का नाम	कुल पदों की संख्या	आरक्षणवार पदों की संख्या
1	क्षेत्रीय समन्वयक	05	अनारक्षित - 02 अ.ज.जा. - 01 अ.जा. - 01 अ.पि.वर्ग- 01
2	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	04	अनारक्षित - 02 अ.ज.जा. - 01 अ.पि.वर्ग- 01

(ब) पदवार शैक्षणिक अर्हता, अनुभव व मेरिट अंक का विवरण :-

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रु. मे)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	क्षेत्रीय समन्वयक	26,490	शिक्षा- 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा/सर्टिफिकेट। अनुभव- स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं में गरीबी उन्मूलन/ आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 01 वर्ष का गरीबी उन्मूलन/ग्रामीण आजीविका संबंधी क्षेत्र का शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक कर Weightage देते हुए बारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक कर Weightage देते हुए दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक कर Weightage देते हुए न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक लिखित/कौशल परीक्षा	35 20 20 10 05 10

[Handwritten Signature]

क्र.	पदनाम	एकमुश्त मासिक वेतन (रु. में)	शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव	मेरिट हेतु अंक निर्धारण (कुल अंक 100)	
				विवरण	अंक
1	2	3	4	5	6
2	लेखा सह एम.आई. एस. सहायक	23,350	<p>शिक्षा— 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय पर स्नातक उत्तीर्ण।</p> <p>2. मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा एवं टेली सर्टिफिकेट।</p> <p>अनुभव— स्नातक उपाधि उपरांत लेखा से संबंधित 02 वर्षीय शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्था से अनुभव।</p>	स्नातक में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक कर Weightage देते हुए	35
				वारहवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक कर Weightage देते हुए	20
				दसवीं में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक कर Weightage देते हुए	20
				न्यूनतम वांछित अनुभव के पश्चात् प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव 02 अंक एवं अधिकतम 10 अंक	10
				छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक एवं अधिकतम 05 अंक	05
				लिखित/कौशल परीक्षा	10

नियम एवं शर्तें :-

- उक्त रिक्त पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में दिनांक 05.03.2025 से दिनांक 20.03.2025 तक स्वीकार किये जावेंगे। समस्त शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी दस्तावेज (स्व-प्रमाणित) की प्रति सहित पंजीकृत/स्पीड डाक के माध्यम से दिनांक 20.03.2025 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द कार्यालय में प्रेषित किया जावे। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों विचार नहीं किया जावेगा।
- एक से अधिक पद हेतु आवेदन करने की स्थिति में प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदक को लिफाफे के ऊपर में आवेदित पद एवं वर्ग का नाम स्पष्ट रूप से उल्लेख करना अनिवार्य है, उल्लेख नहीं होने की स्थिति में लिफाफा नहीं खोला जावेगा एवं आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ पत्राचार हेतु दो खाली लिफाफा 5 रु. का डाक टिकट सहित स्वयं का पता लिखा आवेदन के साथ संलग्न कराना होगा।
- आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ निवासियों एवं विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर जारी निर्देश के अनुरूप छूट की पात्रता होगी। आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 के आधार पर की जावेगी।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किये जावेंगे।
- आवेदक को छ.ग. राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न किया जाना होगा।
- आवेदन पत्र में आवेदक का फोटो एवं सूचीबद्ध किये गये समस्त प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। समस्त सूचीबद्ध प्रमाण पत्र व दस्तावेजों की छायाप्रति संलग्न न होने एवं उक्त दस्तावेजों के स्व-प्रमाणित न होने की स्थिति में आवेदन-पत्र निरस्त माना जावेगा।
- अनुभव प्रमाण-पत्र (आवेदित पद हेतु निर्धारित योग्यता के संबंधित हो) केवल शासकीय/अर्द्धशासकीय/शासकीय वित्त पोषित/शासन से अनुदान प्राप्त गैर-शासकीय संस्थाओं के ही मान्य होंगे। पद से संबंधित अनुभव होने पर ही अभ्यर्थी को नियमानुसार अनुभव अंक प्रदान किये जायेंगे।
- विज्ञापन में वर्णित अनुभव के अतिरिक्त कोई भी अनुभव मान्य व स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- आवेदन करने के समय अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान का नाम पूर्ण पता व अनुभव हेतु जारी कार्यालय जावक क्रमांक, दिनांक एवं जारीकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम, संपर्क हेतु संबंधित का दूरभाष नंबर तथा ईमेल की जानकारी अनिवार्य रूप से दिया जावे। अन्यथा इसके अभाव में आवेदक द्वारा दिये गये अनुभव को मान्य न करते हुए अपात्र की श्रेणी में रखा जावेगा। जिसके लिए आवेदक ही स्वयं जिम्मेदार


(Signature)

होगा। साथ ही गैर-शासकीय संस्था से जारी अनुभव प्रमाण-पत्र हेतु आवेदक को निरंतर 06 माह का पे-स्लीप व प्रमाणित बैंक स्टेटमेंट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पदवार अनुभव हेतु प्रस्तुत दस्तावेज मान्य/अमान्य किये जाने के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

10. यदि प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो वरीयता क्रम के आधार पर कौशल परीक्षा के लिए 01 पद के विरुद्ध 5 आवेदकों को बुलाया जायेगा। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव का अंक एवं कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को मिलाकर सर्वोच्च अंक अर्जित करने वाले आवेदक को नियुक्ति दिया जावेगा एवं क्रमशः कम अंक पाने वाले आवेदक को एक वर्ष के लिए वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची में रखे जावेंगे एवं भविष्य में पद रिक्त होता है तो उसे वरीयता क्रम प्रतीक्षा सूची से भरा जावेगा।
11. यदि किसी आवेदक के अंकसूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड दिया गया हो तो उन आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जावेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक को 8वीं में ए ग्रेड मिला हो तथा ए ग्रेड 80 से 90 प्रतिशत तक हो तो, उस आवेदक के अंक को 85 प्रतिशत मानकर वरीयता सूची तैयार की जावेगी।
12. प्रारंभिक सूची के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के शैक्षणिक योग्यताएं एवं अनुभव प्रमाण पत्र या अन्य प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर मान्य नहीं किया जावेगा। मूल आवेदन पत्र में संलग्न किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंक प्रदान किये जायेंगे।
13. दावा-आपत्ति में केवल लिपिकीय त्रुटि का ही सुधार किया जावेगा, अन्य किसी भी विषय पर आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
14. समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की पारस्परिक वरीयता उनके उम्र के आधार पर निर्धारित की जावेगी, जिसके अनुसार अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन पहले किया जावेगा।
15. शासकीय/गैर-शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आवेदक द्वारा अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जावेगा।
16. ऐसे आवेदक जिन्हें पूर्व में सेवा अनुशासनहीनता/अनुचित व्यवहार/स्वेच्छाचारिता या अनयमितता के आधार पर छत्तीसगढ़ आजीविका संवर्धन समिति अथवा अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा किसी भी पद से पृथक किया गया हो, वे चयन के लिए पात्र नहीं होंगे। गलत, असत्य अथवा भ्रामक जानकारी दिये जाने पर उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी।
17. अपूर्ण/अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा एवं उक्त संबंध में कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
18. आवेदक, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
19. नियुक्ति पर अभ्यर्थी को पंजीकृत चिकित्सक द्वारा मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
20. उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन को इस बात की समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
21. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।
22. यदि आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न करता है या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।
23. संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। तत्पश्चात् आवश्यकता होने पर कार्ययोग्यता, कार्यक्षमता, वार्षिक कार्य मूल्यांकन (Annual Performance Appraisal) एवं व्यवहार के आधार पर व शासन के निर्देशानुसार दोनों पक्षों की सहमति से कार्य अवधि एक वर्ष निरंतर रखे जाने पर विचार किया जा सकता है।
24. यह नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र.एफ 9-1/2012/1-3 दिनांक 31 दिसम्बर 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति के संबंध में समस्त शर्तें लागू होंगी।
25. संविदा अवधि में छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत अवकाश की पात्रता होगी।
26. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।



27. संविदा अवधि के दौरान दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
28. सेवा समाप्ति पश्चात् संविदा अधिकारी/कर्मचारी के रूप में दी गई सेवा अवधि हेतु किसी प्रकार की पेंशन, उपादान या मृत्यु-लाभ आदि की पात्रता नहीं होगी।
29. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द का होगा, जो बंधनकारी एवं सर्वमान्य होगा।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत महासमुन्द

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत- महासमुन्द (छ.ग.)

स्व-प्रमाणित
फोटोग्राफ

आवेदित पद का नाम :-

आवेदक का नाम :-

लिंग :- पुरुष/स्त्री :-

पिता/पति का नाम :-

जन्मतिथि :- (अंको में) :-

(शब्दों में) :-

आयु (01.01.2025 की स्थिति में) :- वर्षमाह.....दिन.....

वर्ग - (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अनारक्षित) :-

मूल निवास :- राज्य :- जिला :-

विकासखण्ड:- पोस्ट:-

गांव/शहर :-

पत्र व्यवहार का पता :-

.....पिन.....

मोबाईल नम्बर :-

ई-मेल :-

शैक्षणिक योग्यताएं :-

अर्हताएं	बोर्ड/विवि	डिग्री/डिप्लोमा	परीक्षा परिणाम			
			उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

•• संबंधित कार्यक्षेत्र में अनुभव :-

विभाग/संस्था	पदनाम	अनुभव अवधि		
		कब से	कब तक	कुल अनुभव (माह में)
कुल अनुभव				

संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

1.6.....
2.7.....
3.8.....
4.9.....
5.10.....

—: घोषणा :-

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उक्त पद हेतु मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारियां पूर्ण रूप से सत्य है। तदोपरांत किसी भी स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत जानकारियां/दस्तावेज असत्य, अपूर्ण पाए जाने पर मेरा आवेदन/सेवायें निरस्त कर मुझ पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान :-

दिनांक :-

आवेदक का हस्ताक्षर

नाम:-.....

पता :-.....

.....

.....

मो.न:-.....